प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार योजना: 2015

I. उद्देश्य:

प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार का उद्देश्य, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में परिभाषित किये गए अनुसार कामगारों द्वारा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के संगठनों में किए गए उत्कृष्ट योगदान और जिनके पास प्रदर्शन, उच्च आदेश के कर्तव्य के प्रति समर्पण का विशिष्ट रिकॉर्ड, उत्पादकता के लिए किया गया विशिष्ट योगदान, प्रमाणित प्रगतिशील योग्यताएं, आपात स्थिति में आत्म नियंत्रण और असाधारण साहस दिखाया है तथा जिन्होंने अपने कर्तव्यों के ईमानदारी से निर्वहन में अपने जीवन को अर्पित करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है, ऐसे कामगारों को प्रशंसित करना है।

II. विस्तार:

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में परिभाषित किये गए अनुसार और केंद्र और राज्य सरकार के विभागीय उपक्रमों में नियुक्त, केन्द्र और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के रूप में निजी क्षेत्र को तथा न्यूनतम 500 पंजीगत कर्मचारियों के होने और विनिर्माण और उत्पादन प्रक्रियाओं में होने पर और मूल्यांकन योग्य प्रदर्शन वाले कामगारों को ही पुरस्कार दिया जाएगा। केवल नियमित सेवा कार्यों में लगे श्रमिक पात्र नहीं होंगे।

1. उद्योग के सभी क्षेत्रों में लगे कामगारों को भी इसका लाभ दिया जाना चाहिए। रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय आदि जैसे महत्वपूर्ण विभागीय/उपक्रमों के अंतर्गत काम करने वाले लोगों को भी इसका पर्याप्त लाभ दिया जाना चाहिए।

2. उपर्युक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं और विकलांग कामगारों को भी इसमें समुचित स्थान देना होगा।

3. "प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार लिए के "अपने कामगार की सिफारिश करने वाले संगठनों को इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए कामगार की पात्रता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट होना चाहिए और कामगार जिसमें कार्यरत है उस संगठन के प्रमुख/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर के साथ इस आशय में एक प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए।

III. नामांकन: -जमा करने का माध्यम: -

क) सार्वजनिक क्षेत्र

संगठन के प्रमुख को संलग्न नामांकन प्रपत्र को तीन प्रतियों में पूरी तरह से भरना होगा, और इसे प्रशासनिक केन्द्रीय मंत्रालय/संबंधित राज्य सरकार विभाग के माध्यम से संलग्नकों और अपनी सिफारिशों के साथ अवर सचिव (आईएसएच-प्रथम) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को **31 अगस्त, 2015 से पहले** भेजना होगा। योजना और दिशा निर्देशों के संदर्भ में नामांकन की बारीकी से जांच की जायेगी।

ख) निजी क्षेत्र

संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संलग्न नामांकन प्रपत्र को तीन प्रतियों मेंपूरी तरह से भरना होगाऔर इसे संबंधित उद्योग के स्थानीय/राज्य समिति/उद्योग मंडल को भेजना होगा। स्थानीय/राज्य स्तर पर नामांकन की संवीक्षा के बाद इसे समिति/मंडल के राष्ट्रीय स्तर के माध्यम से संलग्नकों और अपनी सिफारिशों के साथ तीन प्रतियों मेंअवर सचिव (आईएसएच-प्रथम) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को **31 अगस्त, 2015 से पहले** भेजना होगा। योजना और दिशा निर्देशों के संदर्भ में नामांकन की बारीकी से जांच की जायेगी।

IV. दिशा निर्देश और पात्रता

पुरस्कार ऐसे कामगारों को दिया जाएगाजिनके पास प्रदर्शन, उच्च आदेश के कर्तव्य के प्रति समर्पणका विशिष्ट रिकॉर्ड, उत्पादकता के लिए किया गया विशिष्ट योगदान, प्रमाणित प्रगतिशील योग्यताएं, आपात स्थिति में आत्म नियंत्रण और असाधारण साहस है। यह पुरस्कार उन कामगारों को भी दिया जा सकता है जिन्होंने अपने कर्तव्यों के ईमानदारी से निर्वहन में अपने जीवन कोअर्पित करते हुएखतरों में डाला है या सर्वोच्च बलिदान दिया है।

निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक में उसका प्रदर्शन होना चाहिए: -

- उत्पादकता में सुधार लाने में;
- वे कामगार जिन्होंने उत्पादकता, सुरक्षा क्षेत्र में और ऊंचे दर्जे की प्रगतिशील क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उत्कृष्ट योगदान दिया है;
- संगठन की क्षमता बढ़ाने में;
- ईंधन, बिजली और विस्फोटक जैसी चीजों के बचत के संबंध में नवप्रवर्तन और सुधार लाने में;
- संयंत्र और उपकरण की उपयोगीता में सुधार लाने में;
- उपयोगकर्ताओं के लिए उत्पादों की गुणवत्ता/सुरक्षा में सुधार करने में;
- अपशिष्ट या रद्दी स्क्रैप सामग्री और संसाधनों के संरक्षण का बेहतर उपयोग करने में;
- आयातित की जाने वाली प्रक्रिया/सामग्री कास्वदेशी से प्रतिस्थापन;

निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा किया जाना आवश्यक है:

- नामांकित व्यक्ति, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में परिभाषित किये गए अनुसार एक कामगार होना चाहिए।
- नामांकित करने वाले प्रतिष्ठान में उसे कम से कम पिछले 10 वर्षों से लगातार कार्यरत होना चाहिए।
- उसका उद्योग/कंपनी में प्रदर्शन का प्रतिष्ठित रिकार्ड होना चाहिए।
- उसकी उपस्थिति में नियमितता और समय की पाबंदी होनी चाहिए।
- नामित कार्यकर्ता को उसकी सेवा अवधि के दौरान कोई रिपोर्ट करने योग्य किसी दुर्घटना का न होना पड़ा हो।
- कामगार द्वारा कोई साहसपूर्ण प्रदर्शन अथवा कर्तव्यों के निर्वहन में उसे अपने जीवन का बलिदान किया गया हो, यदि लागू हो।
- उसे भरोसेमंद होना चाहिए।
- उसका चरित्र, स्वभावअच्छा होने के साथ ही साथी कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंधों सहित अच्छे टीमवर्क का गुणहो तथा अनुशासन आदि के प्रति उत्तरदायी हो।
- उसका पुलिस रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए।
- वह भारतीय नागरिक हो।

V. पुरस्कार के विवरण

प्रत्येक के लिए नकद पुरस्कार की संख्या इस प्रकार हैं: -

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	पुरस्कार की संख्या	नकद पुरस्कार	मापदंड
1.	श्रम रत्न	1	रू 2, 00, 000	सर्वोच्च पुरस्कार उस कामगार को दिया जाएगा जिसके पास वास्तविक उत्कृष्ट क्षमता हो और जिसने असाधारण सर्वांगीण योगदान दिया है।
2.	श्रम भूषण	4	रू.1, 00, 000 प्रति	ऐसे कामगार जिन्होंने उत्पादकता में उत्कृष्ट योगदान दिया हो, और उच्च दर्जे की प्रगतिशील क्षमताएं प्रदर्शित की हों।
3.	श्रम वीर/ श्रम वीरांगना	12	रू 60, 000 प्रति	ऐसे कामगार जिनका समर्पित सेवा का एक निरंतर रिकॉर्ड हो औरउच्च दर्जे की उत्पादकता हासिल की है।
4.	श्रम देवी/ श्रम श्री	16	रू 40, 000 प्रति	ऐसे कामगार जिन्होनें काम के प्रति असाधारण जोश और उत्साह दिखाया हो और उत्पादकता के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया हो।

श्रम रत्न पुरस्कार सार्वजनिक और निजीदोनों क्षेत्रों के लिए सर्वनिष्ठ होगा और शेष 32 पुरस्कारों को दोनों के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा अर्थात् सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में सेप्रत्येक को 16-16।

किसी कामगार द्वारा पुरस्कारों को टीम और/या विभिन्न टीमों/अन्य किसी कामगार के साथ साझा करने के मामले में, पुरस्कार राशि समान रूप से कामगारों{टीम के सदस्यों + व्यक्तिगत कामगार} की कुल संख्या से साझा किया जाएगा।

एक वर्ष में पुरस्कार की कुल संख्या तैंतीस होगी, किसी एक या अधिक श्रेणियों के लिए पुरस्कार नहीं दिए जाने के मामले में, इन अन्य निचली श्रेणियों के बीच वितरित किया जा सकता है। नकद पुरस्कार के अलावा, पुरस्कार विजेताओं को प्रधानमंत्री से एक 'सनद' भी प्राप्त होगा। पुरस्कार विजेता द्वितीय श्रेणी के रेल किराये में 75% की छूट के पात्र होंगे।

VI. चयन प्रक्रिया

केन्द्र और राज्य सरकारों और केन्द्र तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विभागीय उपक्रमों के मामले में प्रशासनिक मंत्रालयों/राज्य सरकारों के माध्यम से तथा जो निजी क्षेत्र के हैं उनके राष्ट्रीय समिति/मंडलों के माध्यम से प्राप्त सभी नामांकनों की एक तकनीकी समिति द्वारा, घटते क्रम मेंसंवीक्षा की जायेगी और पुरस्कार के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। तकनीकी समिति, नियोक्ता संगठनोंके प्रतिनिधियों, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक/तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञों और डीजीएफएएसएलआई के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसी प्रख्यात व्यक्तित्व की अध्यक्षता में होती है। तकनीकी समिति जांच समिति को पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सिफारिशें करेगा।

केंद्रीय श्रम और रोजगार सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति आगे तकनीकी समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी और माननीय श्रम और रोजगार मंत्री/माननीय प्रधानमंत्री की स्वीकृति के लिए अंतिम सिफारिशें करेगी। एक महिला सदस्य को भी नामांकित किया जाना चाहिए (या तो महिला सदस्य पदेन योग्यता में समिति का हिस्सा बन सकेगी या किसी महिला सदस्य के न होने की स्थिति में, एक उपयुक्त महिला सदस्य को नामित किया जाना चाहिए)।

चयन के संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

भारत सरकार के पास जिन्हें दूसरों के लाभ के लिए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन विजेताओं के संबंध में किसी भी जानकारी के प्रकाशन करने का अधिकार होगा।

1. किसी भी रूप में अधूरे नामांकन फार्म को निरस्त किया जा सकता है।

2. नामांकित व्यक्ति या नियोक्ता द्वारा समिति पर किसी भी प्रकार के अनुचित प्रभाव/सिफारिशों की कोशिश किये जाने पर नामांकन को अयोग्यघोषित किया जा सकता है।

VII. पुरस्कारों की घोषणा और वितरण

इन पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर की जाएगी और उनकी सुविधा के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले सार्वजनिक समारोह में वितरित किया जाएगा।

पुरस्कार विजेताओं को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार के प्रस्तुति समारोह में भाग लेने के लिए निम्नलिखित सुविधाओं की भी अनुमति दी जाती है: -

I. एक अतिथि लाने के लिए
II. पुरस्कार विजेता और एक अतिथिदोनों के लिए, दोनों तरफ का हवाई जहाज का किराया (किफायती) या यात्रा की वास्तविक विधा पर खर्च किए गए व्यय, जो भी कम हो दिया जाएगा।
III. पुरस्कार विजेता और एक अतिथि दोनों के लिए दो दिनों के लिए आवास की सुविधा तथा
IV. रु० 2, 000 / - का अतिरिक्त खर्च दिया जाएगा।

VIII. आवेदन के साथ कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) प्रस्तुत करने के लिए निर्देश।

क) कर्मचारियों या समूह कर्मचारियों के संबंध में केवल "प्रशस्ति पत्र" भाग (अर्थात् अनुबंध-II) की एक कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) को आवेदन के साथ भेजना आवश्यक है।

ख) सीडी विंडोज, 2000 (केवल टेक्स्ट स्वरूप में) पैकेज में होनी चाहिए।

ग) केवल नयी (वायरस-मुक्त) सीडी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

घ) रेखांकन नहीं किया जाना चाहिए। जहां आवश्यक हो, रेखांकन के बजाय इटैलिक फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है।

ङ) प्रशस्ति पत्र के शीर्ष पर, पदनाम के साथ साथ कर्मचारियों/कर्मचारियों के समूह का नाम बड़े और मोटे अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।

च) यदि प्रशस्ति पत्र अंग्रेजी के अलावा अन्य किसी भी भाषा में तैयार किया गया है तो आवेदन के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भेजना चाहिए। सीडी केवल अंग्रेजी संस्करण में ही होनी चाहिए।

छ) लाइन स्पेसिंग - लाइनों के बीच 'डबल' होना चाहिए।

ज) मार्जिन नीचे दिए गए अनुसार होनी चाहिए:

- बाईं मार्जिन 16 शब्दांशों और दाईं मार्जिन 12 शब्दांशों की होनी चाहिए।

- ऊपर/नीचे की मार्जिन 3 लाइन (12 शब्दांशों) की होनी चाहिए।

झ) अच्छा होगा कि प्रशस्ति पत्र के लिए टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट आकार ‘ 12’ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कर्मचारी (यों) का नाम थोड़ा बड़े फ़ॉन्ट आकार में टाइप किया जा सकता है।

प्रत्यय नामांकित व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का नुप्रमाणित फ़ोटो

श्रम और रोजगार मंत्रालय/भारत सरकार

प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार **2015** के लिए नामांकन

नामांकन फार्म को निर्दिष्ट किये गए पूर्ण विवरण देते हुए और निर्देशों के अनुसार, "वेतन एवं लेखा अधिकारी (एमएस), श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली" के पक्ष में देय रु० 500/- के क्रास्ड डिमांड ड्राफ्ट के साथ अवर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को अंतिम तिथि से पहले अर्थात् 31 अगस्त 2015 तकपहुंच जाना चाहिए। निजी क्षेत्र में 500या उससे अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली विनिर्माण इकाइयों को रु० 500/- के दो डिमांड ड्राफ्ट, जिसमें एक "वेतन एवं लेखा अधिकारी (एमएस), श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली" के पक्ष में देयतथा दूसरा संबंधित नोडल एजेंसी के पक्ष में देय होगा, अपने आवेदन पत्र के साथ भेजना होगा। चयन के संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

टिप्पणी

फॉर्म भरने से पहले, निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

1. किसी व्यक्तिगत कामगार से सीधे प्राप्त किया गया नामांकन फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. पूरी तरह से भरे हुए नामांकन फार्म को प्रशासनिक केन्द्रीय मंत्रालय/राज्य सरकार के विभाग/राष्ट्रीय स्तरीय समिति/मंडलों के माध्यम से एक अलग पेपर पर टाइप की गयी सिफारिश के साथ भेजा जाएगा।
3. संबंधित कॉलम/आइटम से संबंधित जानकारी लिखें।
4. जो लागू न हो, उसे काट दें।
5. अलग अलग पीछे की तरफ विधिवत हस्ताक्षर किए गए पासपोर्ट आकार के दो सत्यापित फोटो संलग्न करें।
6. किसी भी तरह से अपूर्ण नामांकन फार्म को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
7. नामांकित व्यक्ति या नियोक्ता द्वारा समिति पर किसी भी प्रकार के अनुचित प्रभाव/सिफारिशों की कोशिश किये जाने पर नामांकन को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
8. सुनिश्चित कर लें कि फैक्स नंबर (एसटीडी कोड के साथ) के साथ फोन नंबर (*कार्यालय एवं आवासीय*) को यथा स्थान साफ़-साफ़ लिखा गया है।

I. कार्यकर्ता का विवरण

1. पूरा नाम (ब्लॉक पत्र) :
(रोमन और देवनागरी लिपि में)

2. पदनाम :

3. माता पिता / पति का नाम :

4. जन्म की तारीख और जगह : उम्र: लिंग:

5. वर्तमान डाक पता :

6. फोन नंबर (एसटीडी कोड के साथ):

7. स्थायी डाक पता

8. पारिवारिक पृष्ठभूमि:
(परिवार की संरचना, उनके
व्यवसाय आदि का विवरण दें।)

क्र.सं.	परिवार के सदस्यों का नाम	उम्र	आवेदक के साथ रिश्ता	व्यवसाय

9. क्या शारीरिक रूप से विकलांग है:

योग्यता:

शैक्षिक	तकनीकी	पेशेवर

टिप्पणी: 1. सरकार के कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी अथवा स्कूल/कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत सत्यापित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र/अंक तालिकाओं की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

अनुभवः

नियुक्ति की तिथि	पदनाम		अनुभव के वर्ष	टिप्पणियां
	नियुक्ति का समय	वर्तमान		

i) काम की प्रकृति :

ii) कामगार/कर्मचारी को सौपें गए कर्तव्य और जिम्मेदारियां :

iii) वर्तमान वेतन :

नोटः कृपया आवश्यकतानुसार अलग से पत्र संलग्न करें।

II. उस उद्योग/कंपनी के बारे में जहां नामित व्यक्ति कार्यरत है।

कंपनी/कारखाने का नाम व पता	नियोक्ता का नाम और पता	दूरभाष नंबर/ फैक्स नंबर/ईमेल	कार्यरत श्रमिकों की संख्या

प्रासंगिक कानून के तहत पंजीकरण संख्या	प्रवर्तन प्राधिकरण	
	डाक के पते के साथ अधिकारी का नाम	दूरभाष नंबर/ फैक्स नंबर/ईमेल

III. नामित व्यक्ति का संक्षिप्त इतिहास

क) सामान्य रूप में नामित व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में:

ख) सेवा के बारे में:

i) पिछले नियोक्ता के साथ :

ii) वर्तमान नियोक्ता के साथ :

ग) कोई भी अन्य प्रासंगिक जानकारी :
और जो नामित व्यक्ति की अन्य
गतिविधियों पर प्रकाश डालती हो
और फॉर्म में प्रदर्शित नहीं किया गया हो

IV. नामित व्यक्ति को पूर्व में प्रदान किये गए पुरस्कार का विवरण:

क)

वर्ष जिसमें पुरस्कार दिया गया	दिए गए पुरस्कार का नाम	संगठन/निकाय का नाम और पता	दूरभाष नंबर/ फैक्स नंबर/ईमेल

क) दिए गए प्रत्येक पुरस्कार का संक्षिप्त विवरण:

टिप्पणी: एक दस्तावेजी प्रमाण के रूप में पुरस्कार प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

<u>प्रशंसात्मक उल्लेख</u>

(संगठन/कंपनी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रमुख द्वारा प्रदान किया गया)

टिप्पणी: निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी देने के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले टाइप किये गए फॉर्म में 600 से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए।

1. सराहनीय सेवा

2. उपलब्धियां

स्थानः हस्ताक्षर

दिनांकः नाम व पदनाम

पताः

<u>कार्यालय मुहर</u>

<u>प्रमाणपत्र</u>

(नामित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है)

मैं अधोहस्ताक्षरी श्री/श्रीमती/कुमारी ....एतद्द्वारा प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कार से सम्मानित और सनद स्वीकार करने की अपनी सम्मति देता हूं। यदि इस पुरस्कार के लिए मेरा चयन किया जाता है तो मैं समिति द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों और समिति के निर्णय का पालन करना मेरे लिए बाध्यकारी होगा।

दिनांकः नामांकित व्यक्ति का

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(यदि पुरूष तो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, और यदि महिला तो दायें हाथ के अंगूठे का निशान)

रोजगार प्रदाता द्वारा हस्ताक्षित :

नामः

पदः

उद्योग/कंपनी की मुहरः

नामित व्यक्ति की घोषणा

मैं .... एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि नामांकन फार्म में दिए गए सभी वक्तव्य, पूर्ण रूप से सत्य एवं सही हैं। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार की घोषणा से पहले या बाद में किसी भी सूचना के झूठी/गलत पाये जाने पर या अयोग्यता पाये जाने की स्थिति में, मेरा नामांकन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। मुझे ज्ञात है कि अंतिम समय तक यदि कोई भी अनियमितता पायी जाती है तो सरकार के पास दंडात्मक कार्रवाई के साथ इस पुरस्कार को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है।

इसके अतिरिक्त मैं घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं।

दिनांकः नामांकित व्यक्ति का

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(यदि पुरूष तो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, और यदि महिला तो दायें हाथ के अंगूठे का निशान)

<u>नियोक्ता प्रमाणपत्र</u>

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी इंडस्ट्री/कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। हमारी पंजीकरण संख्या............. है और इसके अतिरिक्त यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... हमारी इंडस्ट्री/कंपनी मेसर्स .... जो .... में स्थित है, में अस्थायी/स्थायी कर्मचारी हैं और वह हमारी इंडस्ट्री/कंपनी में हमारे साथ .... से .... के पद पर कार्यरत है।
2. इसके अतिरिक्त यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण, उसके रिकॉर्ड से सत्यापित हैं और सही पाए गए हैं।
3. श्री/श्रीमती/कुमारी........... के विरुद्ध कोई भी सतर्कता मामलेलंबित या विचाराधीन नहीं है। उसकी ईमानदारी पर संदेह नहीं है।
4. पिछले 10 वर्षों के दौरान श्री/श्रीमती/कुमारी........... पर कोई भी बड़ा या छोटा जुर्माना नहीं लगाया गया है।
5. अपने आवंटित किये गए कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति वह मेहनती, गंभीर और ईमानदार है।
6. पिछले 10 वर्षों के दौरान उस पर कोई भी रिपोर्ट की गयी दुर्घटना का मुकदमा नहीं किया गया है।
7. मुझे भी यह ज्ञात है कि घोषणा से पहले या बाद में कोई भी अनियमितता/झूठी सूचना पायी जाती है, तो मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

हम उसकी शानदार सफलता की कामना करते हैं।

अधोहस्ताक्षरी इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत है।

स्थानः हस्ताक्षर

दिनांकः नाम व पदनाम

दूरभाष संख्याः

<u>कार्यालय मुहर</u>

(सिफारिश करने प्राधिकारी द्वारा भरा जाए)

मनोनीत व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का फोटो

स्थानीय पुलिस स्टेशन से
सत्यापन प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..

पुत्र/पुत्री/पत्नी .... के खिलाफ दर्ज किसी मामले या आपराधिक मामले में संलिप्त नहीं पाया गया है। उसका रिकार्ड अच्छा है और वह .... में रहता/रहती है.इसके अलावा, यह प्रमाणित किया जाता है कि उसका नाम किसी भी असामाजिक/आपराधिक मामले में दर्ज नहीं है।

कोई अन्य टिप्पणी, यदि हो तो।

स्थानः हस्ताक्षर
दिनांकः पूरा पता , दूरभाष नंबर, फैक्स नंबर के साथ पुलिस अधिकारी का नाम

कार्यालय मुहर

टिप्पणी: सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी को नामित व्यक्ति के फोटोग्राफ को हस्ताक्षर औररबर स्टाम्प के मुहर से इस तरह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि आधा हस्ताक्षर और मुहरप्रमाणपत्र पर और आधाफोटोग्राफ पर हो।

देवनागरी लिपि में कामगार का पूरा नाम कामगार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित (मूल रूप में)।

(कामगार/कर्मचारी का हस्ताक्षर)

नोटः कृपया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की निकटतम शाखा का नाम बड़े अक्षरों में लिखें।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय

2013 वर्ष के प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार के लिए नामांकन का निमंत्रण

परिचय:

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में परिभाषित किये गए अनुसार, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार ऐसे कामगारों को प्रतिवर्षदिया जाता है जिनके पास प्रदर्शन, उच्च आदेश के कर्तव्य के प्रति समर्पणका विशिष्ट रिकॉर्ड, उत्पादकता के लिए किया गया विशिष्ट योगदान, प्रमाणित प्रगतिशील योग्यताएं, आपात स्थिति में आत्म नियंत्रण और असाधारण साहस दिखाया है तथा उन कामगारों को जिन्होंने अपने कर्तव्यों के ईमानदारी से निर्वहन में अपने जीवन कोअर्पित करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मात्र नियमित सेवा कार्यों में लगे श्रमिक पात्र नहीं होंगे। न्यूनतम 500 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाली विनिर्माण इकाइयां प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार योजनामें भाग लेने के लिए पात्र हैं।

नामांकन:- जमा करने का माध्यम

सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
संगठन के प्रमुख को संलग्न नामांकन प्रपत्र को तीन प्रतियों में पूरी तरह से भरना होगा, और इसे प्रशासनिक केन्द्रीय मंत्रालय/संबंधित राज्य सरकार विभाग के माध्यम से "वेतन एवं लेखा अधिकारी (एमएस), श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली" के पक्ष में देय रु० 500/- के क्रास्ड डिमांड ड्राफ्ट के साथसंलग्नकों के साथ अवर सचिव (आईएसएच-प्रथम) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को **31 अक्टूबर, 2013 से पहले** भेजना होगा।	संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्धारित नामांकन प्रपत्र को तीन प्रतियों में पूरी तरह से भरना होगा और इसे संबंधित नोडल एजेंसी/समिति/उद्योग मंडल को रु० 500/- के दो क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट, जिसमें एक " वेतन एवं लेखा अधिकारी (एमएस), श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली" के पक्ष में नई दिल्ली में देयतथा दूसरा संबंधित नोडल एजेंसी के पक्ष में देय होगा, के साथ भेजना होगा। स्थानीय/राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी द्वारा नामांकन की संवीक्षा के बाद सिफारिशों के साथ नामांकनों को संबंधित राष्ट्रीय स्तर की समिति/मंडल द्वारा तीन प्रतियों मेंअवर सचिव (आईएसएच-प्रथम) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को **31 अक्टूबर, 2013 से पहले** भेजना होगा।

जारी...

क.सं.	*एपेक्स/राष्ट्रीय स्तर का नियोक्ता संगठन*	क्षेत्राधिकार के क्षेत्र

1.	एसोसिएटेड चैंबर आफ कामर्स (एसोचैम) एंड इंड्स्ट्री ऑफ इंडिया, कारपोरेट कार्यालय, 1, कम्युनिटी सेंटर जमरूदपुर, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली - 110 048. टेलीफोन: 011-46550555 फैक्स: 011-46536481, 46536482, 46536497 ईमेल: assocham@nic.in	आंध्र प्रदेश केरल तमिलनाडु पॉन्डीचैरी उत्तरी क्षेत्र (चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब और राजस्थान)
	<u>नोडल एजेंसियां</u> * फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री)एफएपीसीसीआई(, फेडरेशन हाउस, रेड हिल्स, हैदराबाद500004- टेलीफोन23393428-040 :, 23393658 टेलीफैक्स23393712-040 : फैक्स 23395083-040 :ईमेल :info@fapcci.org * कोचीन चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ब्रिस्टो रोड, विलिंगडन आईसलैंड, कोचीन - 682 003. टेलीफोन: 0484-2668349, 2668650 फैक्स: 0484-2668651 ईमेल: cochinchamber@eth.net * एंप्लाई फेडरेशन ऑफ साउथ इंडिया करूमुत्तु ,केंद्र,प्रथम तल सं634 ., अन्ना सलाई, चेन्नई - 600 035 टेलीफोन: 044-24349452, 24349871, 24349720 फैक्स: 044-24349164 ईमेल: cfsi@vsnl.net * पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, ऑप. एशियाई खेल गांव के सामने, नई दिल्ली - 110 016. टेलीफोन: 011-26863801-04 फैक्स: 011-26863135, 26568392 ईमेल: phdcci@del2.vsnl.net.in	
2.	अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली - 110 001. टेलीफोन: 011-23738760-70 फैक्स: 011-23320714, 23721504 ईमेल: aioe@ficci.com / <u>secretariat@aioe.com</u> All India Organisation of Employers	
	<u>नोडल एजेंसियां</u> • गुजरात एंप्लाई ऑर्गेनाईजेशन (जीईओ) ट्राइडेंट कॉम्पलेक्स, डी विंग, 34-35, 3 तल, गेरी कार्यालय के सामने, रेसकोर्स वडोदरा - 390 007. टेलीफोन: 0265-2321471, 2340682 फैक्स: 0265-2342254 • कर्नाटक एंप्लाई एसोसिएशन 74, शंकर आर्केड, वनीविलास रोड, बासवनगुडी, बंगलौर - 560 004. टेलीफोन: 080-26613091, 26607167 फैक्स: 080-26500284 ईमेल: kea@airtelmail.in / वेब: www.kea.co.in • एसोसिएशन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ यूपी,	गुजरात कर्नाटक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड

	2/210, विशाल खंड, गोमती नगर, लखनऊ **- 226 010.** टेलीफोन**: 0522-2301957** फैक्स**: 0522-2301958**	
3.	भारतीय उद्योग परिसंघ**, 23,** इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड**,** नई दिल्ली **- 110 003.** टेलीफोन**: 011-24601182/24629994-7** फैक्स**: 011-24633168/24626149** ईमेल**: s.sen @ ciionline.org**	
	नोडल एजेंसी • भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) **6,** नेताजी सुभाष रोड**,** कोलकाता **- 700 001.** टेलीफोन**: 033-22207727/28** फैक्स**: 033-22201721**	बिहार झारखंड उड़ीसा पूर्वोत्तर राज्य पश्चिम बंगाल
4.	भारतीय नियोक्ता संघ**,** सेना और नौसेना भवन**, 148,** महात्मा गांधी रोड**,** मुंबई **- 400 001.** टेलीफोन**: 022-22844093, 22843028, 22844232** फैक्स**: 022-22843028**	छत्तीसगढ़ गोवा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश

वेबसाइटों के विवरण

प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार योजना का आवेदन फॉर्म और विवरण, पात्रता मानदंड आदि जैसे अन्य विवरण निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं:

(i) श्रम और रोजगार मंत्रालय: http://www.labour.gov.in/

(ii) खान सुरक्षा महानिदेशालय: http://www.dgms.india.in/

(iii) कारखाना सलाह सेवा महानिदेशालय और श्रम संस्थान http://www.dgfasli.nic.in/

(iv) राष्ट्रीय स्तर की 'नियोक्ता संगठन:

एसोचैम www.assocham.org

एआईओई / फिक्की www.ficci.com / http://www.aioe.com/

सीआईआई www.ciionline.org